न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2018/00347

1. गिरिराज पुत्र स्व. पन्नालाल जाति गूर्जर निवासी नलावता तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
2. लेखराज पुत्र स्व. पन्नालाल जाति गूर्जर निवासी नलावता तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. मूर्ति मंदिर श्री महाप्रभू जी महाराज विराजमान पाटनपोल कोटा जरिये अध्यक्ष गोपाललाल जी महाराज गोस्वामी कोटा(राज0)। जर्ये अध्यक्ष गोपाललाल गोस्वामी मृतक जर्ये कायम मुकाम–
   1/1. कमल प्रभा पत्नी स्वर्गीय गोपाललाल गोस्वामी निवासी पाटनपोल कोटा(राज0)।
   1/2. भवना पुत्री स्वर्गीय गोपाललाल गोस्वामी निवासी पाटनपोल कोटा(राज0)।
   1/3. विनय कुमार स्वर्गीय गोपाललाल गोस्वामी निवासी पाटनपोल कोटा(राज0)।
   1/4. शरद कुमार गोस्वामी स्वर्गीय गोपाललाल गोस्वामी निवासी पाटनपोल कोटा(राज0)।
   1/5. कल्पना पुत्री स्वर्गीय गोपाललाल गोस्वामी निवासी पाटनपोल कोटा(राज0)।
   1/6. अर्चना पुत्री स्वर्गीय गोपाललाल गोस्वामी निवासी पाटनपोल कोटा(राज0)।
2. राजस्थान सरकार जर्ये प्रतिनिधि तहसीलदार तहसील पीपल्दा, जिला कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–(1). उत्पल शर्मा– अधिवक्ता अपीलांट
(2). रमाकान्त लोहिया– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/3

निर्णय **दिनांक 12.07.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा के प्रकरण

संख्या 25/2016 मे पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 03.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता वादी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 15, 19, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया यह कि विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 26 की किस्म सरे अवल रकबा 51 बीघा 8 बिस्वा व किस्म सरे दोयम रकबा 56 बीघा 12 बिस्वा कुल 108 बीघा कृषि भूमि वाके ग्राम जलोदा खतियान तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. मे स्थित है । उक्त खसरा नम्बर 26 की 108 बीघा कृषि भूमि माफी की भूमि रही है जिसमे से 50 बीघा कृषि भूमि पर गोबरीलाल पुत्र ओकार जाति मीणा निवासी जलोदा खातियान बहैसियत काश्तकार काश्त कर रहा था और तत्समय के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे कृषक के कॉलम में भी बहैसियत गोबरीलाल पुत्र ओकार का नाम कृषक के तोर पर इन्द्राज चला आ रहा था, राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 "लागू होने के पश्चात उक्त कृषि भूमि पर माफी रिज्यूम हो गई और तत्समय स्टेट व जागीर द्वारा आदेश दिनांक 28.12.1958 जारी कर दिनांक 01.01.1959 से उक्त कृषि भूमि माफी रिज्यूम कर उक्त कृषि भूमि 50 बीघा के दर्ज काश्तकार गोबरीलाल पुत्र ओकार का खातेदार कृषक हो गया। जिसका अंकन तत्समय की जमाबंदी सम्वत 2014 से 2017 के कॉलम संख्या 5 व कॉलम संख्या 16 मे दर्ज किया गया है उपरोक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 34 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा व ख.न. 39 रकबा 31 बीघा 8 विस्वा पैमूद किये गये। जो गोबरीलाल पुत्र ओकार जाति मीणा निवासी जलोदा खातियान के खाते में दर्ज थी। खसरा नम्बर 26 की 108 बीघा मे से 24 बीघा पर मॉंगीलाल पुत्र गोगा जाति मेहर काबिज काश्त था, तथा गोवरीलाल मीणा 50 बीघा पर काबिज काश्त है। व पटेल कालूलाल मीणा 34 बीघा पर काबिज थे, बाद प्रथम सेटलमेन्ट उपरोक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 34 रकवा 13 बीघा 7 बिस्वा खन. 35 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा खान 36 रकबा 31 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 37 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा ख.न. 38 रकबा 41 बीघा 10 बिस्वा पैमूद किये गयें मॉंगीलाल वल्द गोगा मेहर की खातेदारी में उनके कब्जे काश्त की आराजी खान 35 की 7 बीघा 3 विस्वा खन. 37 की 14 बीघा 12 बिस्वा भूमि खाते में दर्ज कर दी और इसी प्रकार गोवरीलाल पुत्र ओकार मीणा के उनके कब्जे काश्त की भूमि खन 34 की 13 बीघा 7 बिस्वा ख.न. 36 की 31 बीघा 8 बिस्वा कुल 44 बीघा 15 बिस्वा भूमि खाते में दर्ज कर दी गई इसी प्रकार कालू वल्द महाराम जाति मीणा के कब्जे काश्त की आराजी ख.न 38 की 41 बीघा 10 बिस्वा भूमि उनके खाते में दर्ज कर दी गई जमाबंदी सम्वत 2015 से 2024 जिसका इन्द्राज है । माफी रिज्यूम होने के

पश्चात गोबरीलाल वल्द ओकार कानूनन उक्त कृषि भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हो गया और उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में भी उसक रिकॉर्डेड खातेदारी मे पृथक से दर्ज कर दी गई है। सम्बधित राजस्व रिकार्ड वाद पत्र के साथ सलग्न है । उक्त खसरा नम्बर 26 की 50 बीघा कृषि भूमि के गत सेटलमेन्ट पश्चात नये खसरा नम्बर 34 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा व ख.न. 39 रकबा 31. बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 की 44 बीघा 15 बिस्वा कायम किये गये और उक्त कृषि भूमि गोबरीलाल या ओंकार मीणा के रिकॉर्डेड खातेदारी व कब्जे काश्त में दर्ज रही है जमांबदी सम्वत 2014 से 2024 व 2027 से 2030 सलग्न वाद पत्र है । गोबरीलाल वल्द ओंकार जाति मीणा निवासी जलोदा खातियान तहसील पीपल्दा जिला कोटा ने सूरजमल पुत्र धन्नालाल जाति मीणा निवासी नलावता को खातियान की खसरा 39 31 बीघा बिस्वा भूमि रजिस्टर्ड द्वारा दिनांक 12.5 को विक्रय कर दी ओर नामान्तकरण संख्या आराजी सूरजमल खाते दर्ज जिसके नये खसरा नम्बर 139 है, खसना नम्बर 140 रकबा 0.09 हैक्टेयर, ख.न. 144 रकबा 2.30 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 4.52 हैक्टेयर पैमूद किये गये जिसर पर सूरजमल व उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान काबिज काश्त चले आ रहे । गोबरीलाल पुत्र ओकार मीणा ने वादीगण के पिता पन्नालाल को सन् 1954 मे खसरा नम्बर 34 की 13 बीघा 7 बिस्वा भूमि को विकय कर दिया था, तथा 1805.1972. जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के उपरोक्त आराजी वादीगण के पिता को विकय कर दी थी, राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया। उपरोक्त आराजी के खिलाफ तहसीलदार पीपल्दा द्वारा 175 आर.टी. एक्ट के तहत उप जिलाधीश के यहाँ कार्यवाही की जिसका मुकदमा नम्बर 46/76 था, जिसमे न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया कि उपरोक्त विवादित आराजी पर रजिस्ट्री से पूर्व ही वादीगण के पिता पन्नालाल का कब्जा काश्त है। उपरोक्त आराजी पन्नालाल खाते में दर्ज जावे। उपरोक्त आराजी के बाद सेटलमेन्ट नये खसरा नम्बर 146 रकबा 2.13 पेमूद किये गयें उपरोक्त आराजी पर पन्नालाल कब्जा सन लगातार चला आ रहा है। उनकी के बाद कब्जा काश्त चला आ रहा वादीगण उपरोक्त आराजी खातेदार काश्त आगे बाद पत्र में उपरोक्त आराजी को विवादग्रस्त आराजी है। वादीगण के पिता पन्नालाल पुत्र किशनलाल जाति गूर्जर निवासी नलावता की मृत्यु 20–22 साल पहले हो चुकी है। वादीगण एक मात्र उनके कायम वारिसान वादीगण कल्याणी बाई भी मृत्यु हो है वादीगण के अलावा पन्नालाल के और कोई वारिसान नही है। वादीगण को उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी ओर से विवादग्रस्त आराजी बाबत तमाम कार्यवाही करने का अधिकार हासिल है । इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त कृषि भूमि गोबरीलाल वल्द ओंकार मीणा की एकमात्र रिकॉर्डेड खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि जो उसके द्वारा विकय दिनांक 18.05. 1972 पूर्व व पश्चात वादीगण पिता के कब्जे खातेदारी रही है उनकी मृत्यु बाद वादीगण

को उपरोक्त विवादग्रस्त प्राप्त है जिस पर वादीगण बहैसियत खातेदार मालिक काबिज काश्त चले आ रहे है । कानूनन सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियो को विद्यमान इंन्द्राजो को ही दौहराना चाहिये। सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियो को किसी सक्षम आदेश डिकी व वैध दस्तावेज के बिना विधमान इन्द्राजो को परिवर्तित करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नही है, किन्तु फिर भी सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियो ने क्षेत्राधिकार व दायित्व का उल्लंघन करते हुये बिना किसी सक्षम आदेश व वैध दस्तावेज के ही उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता के नाम के साथ-साथ रिकार्ड मे पूर्णतया गलत व गैर कानूनी रूप से प्रतिवादी कम 1 का नाम दर्ज कर दिया और प्रतिवादी कम 1 के नाम का नाजायज फायदा उठाते हुये राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियो ने प्रतिवादी कम 1 के व्यवस्थापक गोपाल जी महाराज से मिलीभगत करते हुये पूर्णतया: गलत व गैर कानूनी तरीके से उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे खातेदार के रूप में दर्ज वादीगण के पिता सूरजमल का नाम खातेदारी से विलोपित कर उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को प्रतिवादी कम 1 की खातेदारी मे दर्ज कर दिया। सेटलमेन्ट एवं राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियो द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी कम 1 के नाम किया गया उक्त इन्द्राज पूर्णतया गलत व गैर कानूनी है जिससे वादग्रस्त भूमि में वादीगण के हक व अधिकारो पर कोई भी विपरित प्रभाव नहीं पड़ता है । उक्त कृषि भूमि माफी अर्थात जागीरी भूमि रही है, जिस पर गोबरीलाल ज़ल्द ओंकार बहैसियत कृषक निरंतर काबिज काश्त रहा है और उक्त भूमि माफी रिज्यूम होने के पश्चात गोबरीलाल के खातेदारी में दर्ज हुई है जिससे प्रतिवादी कम 1 का कोई भी संम्बंध नही है। गोबरीलाल ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विवादग्रस्त आराजी दिनांक 18.5.1972 को वादीगण के पिता को विक्रय की और वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में इंतकाल नम्बर 110 से दर्ज हुआ । किन्तु फिर भी सेटलमेन्ट अधिकारियो व कर्मचारियो ने पूर्णतया गलत व गैर कानूनी रूप से उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड से वादीगण के पिता पन्नालाल के नाम के साथ प्रतिवादी क्रम 1 का नाम दर्ज कर दिया तथा बाद में पन्नालाल का नाम विलोपित कर दिया जो पूर्णतया गैर कानूनी अवैध व प्रभावहीन है ।यह कि राज्य सरकार द्वारा भी समय समय पर परिपत्र जारी कर राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को यह निर्देशित किया गया है कि मूर्ति माफी की ऐसी कृषि भूमियां जो राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के अनुसार माफी रिज्यूम होकर काबिज काश्तकार के खातेदारी मे दर्ज हो चुकी है और इसके पश्चात ऐसी कृषि भूमियो से दर्ज खातेदारान का नाम विलोपित कर मूर्ति मंदिर के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई है, तो उक्त इन्द्राज पूर्णतया गलत व गैर कानूनी है, जिन्हे दुरूस्त किया जाकर उक्त कृषि भूमियां वापिस उन्ही खातेदारान की खातेदारी मे दर्ज कर दी जावें । राज्य सरकार के

उक्त परिपत्रों के संदर्भ मे वादीगण ने प्रतिवादी कम 2 से कई बार उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलत व गैर कानूनी रूप से दर्ज प्रतिवादी कम 1 के नाम को हटाकर उक्त कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया किंतु उसके पश्चात भी प्रतिवादी कम 2 ने कोई भी ध्यान नही दिया जिसके कारण उक्त कृषि भूमि गलत व गैर कानूनी रूप से प्रतिवादी कम 1 के खातेदारी मे दर्ज चली आ रही है । प्रतिवादी कम 1 के व्यवस्थापक गोपाल लाल एवं अन्य व्यक्ति उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलत व गैर कानूनी रूप से दर्ज चले आ रहे है प्रतिवादी कम 1 के नाम का नाजायज फायदा उठाकर उक्त कृषि भूमि से येन-केन प्रकारेण वादीगण को बेदखल करने व वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नही है। प्रतिवादी कम 1 ने अपने इसी अनुचित उद्देश्य की पूर्ति के लिये उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे गलत व गैर कानूनी रूप से दर्ज प्रतिवादी कम 1 के नाम का नाजायज फायदा उठाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा के यहाँ से दिनांक 25.01.2008 को एकतरफा रूप से बेदखली की डिकी भी प्राप्त कर ली है जिसमे वादीगण व उसके पिता को कोई तामिल नही कराई गई, उक्त डिकी वादीगण पर प्रभावी नही है । उक्त डिकी के विरूद्ध अपील न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के यहाँ विचाराधीन है। वास्तव मे उक्त कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है, जिसके सम्बन्ध मे वादीगण को अपने हक व अधिकारो की सुरक्षार्थ घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अनुतोष हेतु यह वाद पेश करने का अधिकार प्राप्त है इसलिये यह वाद प्रस्तुत है । उक्त कृषि भूमि वादीगण के पिता पन्नालाल व उनकी मृत्यु पश्चात वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त में निरंतर दर्ज चली आ रही है और राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुसार भी उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता पन्नालाल का नाम हटाकर प्रतिवादी कम 1 के नाम दर्ज किया गया उक्त गलत इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि वापिस वादीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने योग्य है । वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि यह माननीय न्यायालय की सहायता से वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खान. 146 रकबा 2.13 है. भूमि बाके ग्राम जलोदा खातियान तहसील पीपल्दा का वादीगण स्वयं को खातेदार की घोषणा करवाये एवं उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे गलत व गैर कानूनी रूप से दर्ज प्रतिवादी कम 1 का नाम हटवाकर तदनुसार इन्द्राज दुरूस्ती करवाते हुये प्रतिवादी कम के नाम के स्थान पर वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज करवावें और प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवावे कि प्रतिवादीगण बिना किसी अंतिम डिकी या आदेश के वादग्रस्त कृषि भूमि से वादीगण को बेदखल ना करे, और वादीगण के शांति पूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना करे। वाद कारण सेटलमेन्ट एवं राजस्व

अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा गलत व गैर कानूनी रूप से वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम हटाकर प्रतिवादी कम का नाम दर्ज कर दिये जाने इसके पश्चात प्रतिवादी कम 2 से उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने का निवेदन करने पर भी ध्यान ना देने पर दिनांक 09.06.2016 को वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष मे तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की डिकी सादर पारित फरमायी जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 146 रकबा 2.13 है. वाके ग्राम जलोदा खातियान तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे गलत व गैर कानूनी रूप से दर्ज प्रतिवादी कम 1 के नाम के स्थान पर वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे । तदनुसार राजस्व रिकोर्ड में इसका अमल दरामद किया जावे । साथ ही प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि प्रतिवादीगण बिना किसी अंतिम डिकी व आदेश के वादग्रस्त कृषि भूमि से वादीगण को वेदखल ना करे, और वादीगण के शांति पूर्ण कब्जे काश्त में तथा उसके उपयोग एवं उपभोग मे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना करे, ओर ना ही मदाखलत व मजाहमत करे और ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करे, और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें ।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। दिनांक 03.05. 2018 को लोक–अदालत के तहत वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण वादीगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1/3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे वादीगण की ओर से दावा दिनांक 14.06.2016 को पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दिनांक 21.06.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किये जाने का आदेश दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी में विचाराधीन थी, इसके बावजूद भी बिना पक्षकारान की तलबी व बिना जवाब के नियत तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 03.05.2018 को लोक–अदालत मे रखा जाकर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है जो लोक–अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। लोक–अदालत कैम्प मे अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के मुद्दों, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूचि के विपरीत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के विपरीत अपीलांट वादीगण का वाद लोक–अदालत की भावना के विपरीत खारिज कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत वाद को बिना जवाबदावा, बिना तलबी, दस्तावेज के साक्ष्य की विवेचन के बिना वाद की मेरिट के विपरीत लोक–अदालत के क्षेत्राधिकार के विपरीत जाकर दावा खारिज करने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। लोक–अदालत मे केवल वे ही मामले निस्तारित किये जाने का प्रावधान है, जिसमें दोनो पक्षकारान् सहमत हो अन्यथा मामले पुनः सुनवाई मे निर्णित होने के प्रावधान है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2022(2) आर.आर.टी. पेज 1310, 2022(3) सी.जे.(सिविल)(राज.) पेज 1624 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2018 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/3 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि सम्वत् 2006 से 2009 में उक्त भूमि पुरूषोत्तम लाल जी बेटे गोपाल लाल जी महाराज जात ब्राहम्ण बास कोटा के नाम दर्ज थी। जमाबंदी सम्वत 2014 से 2017 के अनुसार विवादित भूमि माफी मन्दिर महाप्रभू जी कला विराजमान कोटा कब्जा गोस्वामी पुरूषोत्तम लाल जी बेटे गोपाल लाल जी महाराज जात ब्राहम्ण बास कोटा के नाम दर्ज है। कोटा सर्कुलर नम्बर 3 में भी इसके सम्बंध मे प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय मे पैरोकार सरकार का जवाब विधिक रूप से सही है। वर्तमान मे विवादित भूमि मन्दिर श्री महाप्रभू जी विराजमान कोटा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्थान सरकार के नियमों के अन्तर्गत माफी मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति के खाते में अंकित नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय को यह अधिकार

प्राप्त है कि दावे की किसी भी स्टेज पर अधीनस्थ न्यायालय को यह लगे कि दावा चलने योग्य नहीं है, तो अधीनस्थ न्यायालय उसी स्टेज पर दावा खारिज कर सकता है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/3 की ओर से माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1994 पेज 1 राम प्रताप व अन्य बनाम राजस्व मण्डल व अन्य प्रस्तुत किया। अन्त मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2018 को विधि सम्मत होना बताकर अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनता से अवलोकन व मनन किया। आदेशिका दिनांक 07.11.2017 से स्पष्ट है कि प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 2 की तलबी हो गई थी तथा प्रतिवादी संख्या 1 की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एडी लिफाफा पेश करने हेतु आदेश दिया गया। अर्थात पत्रावली में सभी पक्षकारों की तलबी नहीं हुई थी। आदेशिका दिनांक 08.03.2018 मे पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.05.2018 नियत की गई, परन्तु उससे पूर्व ही दिनांक 03.05.018 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प जलोदा खातियान में पेश की गई। पूर्व निर्धारित तारीख 10.05.018 से पूर्व दिनांक 03.05.2018 को लोक–अदालत में पत्रावली रखने के नोटिस जारी करना भी अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में अंकित नहीं है। दिनांक 03.05.018 को ही प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब प्रस्तुत कर दिया तथा लोक–अदालत कैम्प मे दिनांक 03.05.2018 को ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई। आदेशिका दिनांक 03.05.2018 पर केवल वादी संख्या 2 लेखराज के हस्ताक्षर अंकित है। यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि लोक–अदालत में केवल उभयपक्षकारान द्वारा विधिवत् राजीनामा पेश करने पर ही विधिक प्रकिया अपनाते हुए लोक–अदालत की भावना से निर्णय व डिक्री पारित किये जाते है। हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत नहीं है कि यदि वाद का आधार नहीं है तो कभी भी न्यायालय के संज्ञान मे आने पर वाद खारिज किया जा सकता है। राजस्व लोक–अदालत में केवल एक प्रतिवादी के जवाब के आधार पर हस्तगत वाद खारिज करना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में सभी वादी उपस्थित नहीं थे तथा न ही सभी प्रतिवादी उपस्थित थे। अधीनस्थ न्यायालय मे राजस्व लोक अदालत कैम्प मे कोई विधिवत राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। राजस्व लोक अदालत मे केवल प्रतिवादी संख्या 2 के उसी दिन दिए गए जवाब के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया, जो विधि सम्मत नहीं है। इस संबंध मे हम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत

2022(2) आर.आर.टी. पेज 1310, 2022(3) सी.जे.(सिविल)(राज.) पेज 1624 से सहमत है। वादी अपीलांट संख्या 1 तो अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित ही नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रकिया तथा सी.पी.सी. के प्रावधानों की पालना नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय को विधिक प्रक्रिया की पूर्ण पालना कर निर्णय पारित करना चाहिए। बिना विधिवत राजीनामा के तथा बिना समस्त पक्षकारान की उपस्थिति के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक–अदालत में निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2018 को खारिज किया जाना उचित है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 25/2016 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 03.05.2018 खारिज किये जाते है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, गुणावगुण पर नवीन सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 08.08.2023 को उपस्थित रहें।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा